



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222308
CG-DL-E-08102020-222308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3101|
No. 3101|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

सं. 47/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 3484 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 43/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 10.09.2020, का.आ. 3125 (अ) दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रकाशित के साथ पठनीय, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.4 और 5 के स्तंभ सं.3 और 4 में मौजूद प्रविष्टियों को “फ़ा. सं. DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-10/2019 दिनांक 10.08.2020, दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय”, “संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई” और “DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-8/2019 दिनांक 28.07.2020 दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय”, “संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई” से क्रमशः प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा .सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-26/2020]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

No. 47/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 3484 (E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby makes the following amendments in the Notification No. 43/2020-Customs (N.T./CAA/DRI) dated 10.09.2020 published vide S.O. 3125(E) dated 14.09.2020.

In the Table to the said notification, against serial number 4 and 5, in column 3 and column 4, for the existing entries, “F. No. DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-10/2019 dated 10.08.2020 read with corrigendum cum 2nd Supplementary SCN dated 14.09.2020”, “Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai” and “DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-8/2019 dated 28.07.2020 read with corrigendum cum 2nd Supplementary SCN dated 14.09.2020”, “Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai” shall be substituted respectively.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-26/2020]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director